

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

परिपत्र

रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार का समय सूर्यास्त के साथ ही शुरू होता है, जो थोड़ा पहले आरंभ होता है।

अतः यह विनिश्चय किया गया है कि वे मुस्लिम रेल कर्मचारी जो रोज़ा रखते हैं और जिन्हें इफ्तार के लिए अपने घर पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उन्हें जहाँ-कहीं व्यावहारिक हो, समय से पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाए।

(पी.एस. मीना)

निदेशक (सा.प्र.)

रेलवे बोर्ड

सं. 2016/जी/35/1

नई दिल्ली, दिनांक 07.06.2016

1. X प्रतिलिपि रेलवे बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/शाखाओं को प्रेषित।

✓ 2. सलग सूची अनुसार।


**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD**

C I R C U L A R

During the Holy month of Ramzan, the time of Iftar coincides with setting of the sun, which takes place quite early.

It has, therefore, been decided that those Muslim Railway employees who observe fast and are required to travel a long distance to their residence for Iftar, may be allowed to leave office early, wherever feasible.

No. 2016/G/35/1
Dated: 07.06.2016


(P.S. Meena)
Director(General Admn.)
Railway Board

To,

- ✓ All Officers and Branches in the Board's Office.
- ✓ As per list attached.